11/1/23 वकील मालिकान उपस्थित। वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आउटर स्टेशन रखा गया है। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शा.जा. किया गया। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

1/2/23 वकील वादी के प्रा.पत्र 152 CPC अन्तर्गत पेश पेश किये जाने पर पेश हुई। हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रा० का अवलोकन किया। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय के अंतिम पेरा में अंकित तिथि 3.11.23 के स्थान पर 11.1.23 करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शा.जा. किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 483/दावा/2012 तारीख दायरा:– 01.08.2012

उनवान

1भंवरबाई पुत्री श्रृंगार बाई
1/1नन्दसिंह पुत्र भंवरबाई
1/2 शिवराजसिंह पुत्र भंवरबाई
1/3 दीपकंवर पुत्री भंवरबाई
2.जुझारसिंह
3.नवलसिंह
4.शम्भुसिंह पिसरान उदयसिंह जाति राजपूत निवासी सलावद
5.नन्दकंवर बेवा उदयसिंह
6.भंवर सिंह पुत्र गोरधन
7.लाड कंवर
8.हेम कंवर
9.जसवन्त बाई बेवा गोरधन अकवाम राजपूत निवासीयान सलावद तहसील बकानी

–वादीगण

बनाम

1. विजयसिंह
2. मोडसिंह पिसरान नाथूसिंह
3. गजराजसिंह
4. धनराज सिंह पिसरान हरिसिंह
5. कमला कुंवर बैवा हरिसिंह
6. लालसिंह
7. शिवराज सिंह
8. रघुराज सिंह
9. जालम सिंह पिसरान देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सलावद
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी

–प्रतिवादीगण

वाद धारा अन्तर्गत 53, 188 209 आरटीएक्ट

उपस्थित–विद्वान अभिभाषक – श्री बद्रीलाल माहेश्वरी–वादीगण
विद्वान अभिभाषक – श्री विजय जैन, श्री बच्चूलाल प्रति.गण

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 11.01.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सलावद के खाता संख्या 235 सम्वत् 2067–70 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 194 बावड़ी रकबा 04 बिस्वा स्थित है । जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा है । प्राति0 नम्बर 1 व 2 को 1/4 तथा प्रतिवादी 3 लगायत 5 को 1/8 तथा प्रतिवादी 6 लगायत 9 का

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

21/56 हिस्सा है । माधोसिंह का इन्तकाल हो गया है जिसके वादी नम्बर –4 शम्भुसिंह है जो मालिक वारिस है । उक्त आराजी में मिट्टी भर गयी है एवं मौके पर पड़त के रूप में है । प्रतिवादी मोडसिंह बिना फरिकेन की अनुमति के आराजी खसरा नम्बर 194 पर मकानियत बना रहा है मना करने पर झगड़ा करने पर उतारू हुआ जिस कारण वादीगण कानून सम्मत बटवारा कराना चाहते हैं । अतः उक्त आराजी का कानून सम्मत विभाजन किया जाकर वादीगण का 1/4 हिस्सा अलग किया जावे । वादीगण के खाते दर्ज किया जावे तथा मापकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे इस आशय की निषेधाज्ञा की डिक्री पारिज की जावे किवे वादीगण के हिस्से में आयी आराजी पर मजाहमत बेजा न तो स्वंय करे न अन्य किसी से करावें

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री बच्चूलाल ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा बिल मुकाबिल दावा पेश किया । शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए जिनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई । जवाबुल जवाब के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं स्वर्गीय माधोसिंह का 1/4 हिस्सा है । माधोसिंह तथा दोलतसिंह का देहान्त होना स्वीकार है किन्तु माधोसिंह तथा दौलतसिंह का मालिक वारिस शम्भुसिंह होना अस्वीकार है । वाद पत्र में केवल खसरा नम्बर 194 में मिट्टी भर जाना स्वीकार है किन्तु पड़त होना अस्वीकार है । बिल मुकाबिल वाद खसरा नम्बर 194 रकबा 4 बिस्वा पुराना कुआ जो नकारा होकर भर गया एवं गांव के नजदीक होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं मृतक माधोसिंह ने आपस में बंटवारा कर लिया । कुछ हिस्से पर गांव का आम रास्ता खुरंजा निर्माण हो गया है व उसके दूसरी ओर उत्तर का भाग वादीगण को प्राप्त हुआ व दक्षिण का भाग प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ जो भाग खुरंजा बनाने में गया वह सबका शामलाती था । उक्त आराजी के प्रतिवादी कम 2 को प्राप्त हिस्से के दक्षिण में प्रतिवादी कम 2 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 195/970 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा स्थित है । वादीगण को खसरा नम्बर 194 का हिस्सा प्राप्त आराजी के भाग पर वादीगण ने वर्षो से अपने मकान चबूतरा व बाड़ा बना रखा है उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं । प्रतिवादी गण भी अपने हिस्से पर खलिहान, जानवरों के बांधने के छपरे आदि बना रखे हैं । प्रतिवादी कम 2 अपने 1/8 हिस्से एवं स्वंय की खाते की आराजी पर जानवरों को बांधने का शेड बना रखा था । वादीगण ने वादी कम 4 शम्भुसिंह पुत्र उदयसिंह को माधोसिंह आ0 दोलतसिंह का वारिस बतलाया है जो पूर्णतः गलत है । माधोसिंह लाओलाद फोत हुआ है । उनके वारिसान में सभी वादीगण आते हैं । वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नियमानुसार हो रहे निर्माण को जबरन गिरा देने में सफल हो गये तो प्रतिवादीगण को अपरिमित क्षति होगी । अतः वाद वादीगण का उत्तर और से प्रतिवादीगण 12 लगायत 5 मय बिल मुकाबिल वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा स्वीकार फरमाया जावे । एवं बिल

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

मुकाबिल वाद प्रतिवादी 1 लगायत 5 मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सलावद की खसरा नम्बर 194 रकबा 4 बिस्वा का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवारे कब्जे अनुसार किया जावे । वादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के कब्जे हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की बेजा मदाखलत व मजाहमत न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावें ।

वादीगण की ओर से जवाबुजवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने झूंठे बनावटी तथ्य पर बिल मुकाबिल दावा पेश किया है जो महज वादीगण को बेजा तंग व परेशान करने की नियत से बाद को सोचकर पेश किया गया है जो मियाद बाहर है एवं काबिल समाअत अदालत हाजा नहीं है जिस कारण वादीगण विशेष खर्चा पाने के पात्र हैं । प्रतिवादीगण का बिल मुकाबिल दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में नजरी नक्शा ग्राम सलावद, नकल जमाबन्दी सं. 2067 से 70 पेश कर जुझारसिंह एवं एवं रतनलाल के शपथपत्र मुख्य परीक्षण पेश किये । प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई ।

वाद के निस्तारण हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई ।

1. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 194 बावड़ी रकबा 4 बिस्वा वाके सलावद का कानून सम्मत विभाजन कराने के पात्र है। —वादी
2. आया आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 4 बिस्वा आराजी वाके सलावद में वादीगण का 1/4 हिस्सा है जिसे बाद विभाजन अपने जुदागाना खाते में दर्ज कराने के पात्र हैं । — वादी
3. आया वादीगण उनके हिस्से में दी जाने वाली आराजी पर माप कराकर कब्जा पाने के पात्र हैं । —वादी
4. आया वादीगण को खसरा नम्बर 194 रकबा का हिस्सा प्राप्त है । जिस पर उन्होने मकान चबूतरा बाडा बना रखा है जिसका वाद पर असर —प्रतिवादी
5. आया खसरा नम्बर 194 रकबा 4 बिस्वा वाके सलावद का फरीकेन ने आपसी बंटवारा कर लिया है जिसका वाद पर असर —प्रतिवादी
6. आया प्रतिवादी ने उनके हिस्से 1/8 पर जानवर बांधने का शेड बना रखा है जिसका वाद पर असर —प्रतिवादी
7. आया दावा काबिल खारजी —प्रतिवादी
8. सहायता

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

न्यायालय द्वारा पत्रावली में तनकीयात कायम की जाने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य एवं वकील फरीकेन की बहस सुनने के पश्चात तनकीवाईज विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार किया जाता है ।

1. आया इस तनकी के समर्थने में वादी ने ग्राम सलावद सम्वत् 2067 से 70 पेश की जिसमें प्रश्नगत आराजी की किस्म बावड़ी गैर मुमकिन चाह है जिसका विधि सम्मत बटवारा नहीं किया जा सकता है अतः इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व किया जाता है ।
2. आया इस तनकी के समर्थ में वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनका विवेचन तनकी नम्बर–1 में किया जा चुका है । वादीगण प्रश्नगत आराजी जिसकी किस्म चाह है 1/4 हिस्सा अलग कराये जाने का विधिसम्मत पात्र नहीं है अतः इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व किया जाता है ।
3. आया इस तनकी के समर्थन में वकील फरीकेन की बहस सुनी बहस सुनने पश्चात जब प्रश्नगत आराजी की किस्म चाह है तो उसपर सभी सहसखातेदारान का शामलाती हक उपयोग हेतु किया जाता है अतः प्रश्नगत आराजी का माप करावाया जाने का पात्र वादी नहीं है । इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व किया जाता है ।
4. आया प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 04 बिस्वा में हिस्सा प्राप्त हेतु उसके सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा कोई रेकार्डेड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और वादी द्वारा जबरन खसरा नम्बर 194 पर मकान चबूतरा बाड़ा बना रखा है तो उसके लिए प्रतिवादीगण मा0 सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं अतः इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी के विरूद्व तय किया जाता है ।
5. आया खसरा नम्बर 194 का अगर फरीकेन के मध्य आपसी बटवारा भी हुआ हो तो उसे विधि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है । इसकी तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी के विरूद्व किया जाता है ।
6. आया इस तनकी का विवेचन तनकी नम्बर 4 में किया जा चुका है ।
7. आया वादी एवं प्रतिवादीगणों ने प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में जो कि चाह के रूप में मौजूद है उसके बटवारे के सम्बन्ध में किसी भी तरह की ऐसी उच्चतर न्यायालय की नजीर अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे चाह का बटवारा किया जा सके । अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी गण के विरूद्व तय किया जाता है ।
8. न्यायालय द्वारा पत्रावली के अवलोकन दस्तावेजों का अधोपान्त अध्ययन एवं वकील फरीकेन की बहस सुनने के पश्चात वाद वादीगण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी

तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम भी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण मय काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है । फर्द डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 3.11.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
झालावाड़

<u>मूल वाद में फर्द डिक्री</u>
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

प्रकरण संख्या 483/दावा/2012
पीठासीन अधिकारी :– उपखण्ड अधिकारी झालावाड तारीख दायरा 01/08/2013

उनवान

1भंवरबाई पुत्री श्रृंगार बाई
1/1नन्दसिंह पुत्र भंवरबाई
1/2 शिवराजसिंह पुत्र भंवरबाई
1/3 दीपकंवर पुत्री भंवरबाई
2.जुझारसिंह
3.नवलसिंह
4.शम्भुसिंह पिसरान उदयसिंह जाति राजपूत निवासी सलावद
5.नन्दकंवर बेवा उदयसिंह
6.भंवर सिंह पुत्र गोरधन
7.लाड कंवर
8.हेम कंवर
9.जसवन्त बाई बेवा गोरधन अकवाम राजपूत निवासीयान सलावद तहसील बकानी

–वादीगण

<u>बनाम</u>

1. विजयसिंह
2. मोडसिंह पिसरान नाथूसिंह
3. गजराजसिंह
4. धनराज सिंह पिसरान हरिसिंह
5. कमला कुंवर बैवा हरिसिंह
6. लालसिंह
7. शिवराज सिंह
8. रघुराज सिंह
9. जालम सिंह पिसरान देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सलावद
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत दारा 53–188, 209 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ बइजलास श्रीमती मनीषा तिवाडी, आर.ए.एस. मिनजानिब रूबरू वकील वादी श्री बद्रीलाल माहेश्वरी प्रतिवादी वकील श्री विजय जैन, श्री बच्चूलाल मुद्धालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण मय काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है ।

[illegible]– मुबलिग [illegible] – बाबत–खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद बशरह – फीसदी सालाना आज की तारीख से पूलयाबी – [illegible] –का [illegible] मेरे दस्तखत के आज तारीख 11 माह 01. सन् 2023 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धालय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

क्रमांक/रीडर/2023/1382 दिनांक 01.02.23 जनवरी 2023

—:: संशोधित आदेश ::—

(अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी)

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 483/दावा/12 तारीख दायरा 2.08.12 उनवान भंवरबाई बनाम विजय सिंह वगैरह में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट दिनांक 11.01.2023 को वाद वादीगण एवं काउन्टर क्लेम खारिज किया गया था जिसके निर्णय में जारी निर्णय तिथि 11.01.2023 के स्थान पर सहवन से 3.11.23 अंकित हो गयी है जिसे पीठासीन अधिकारी को प्राप्त अधिकार सीपीसी की धारा 151, 152 के तहत अपने निर्णय की अशुद्वि/त्रुटि को शुद्व किये जाने का प्रावधान किया गया है । अतः उक्त नियमों के तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 11.01.2023 में अंकित निर्णय के अन्तिम पेरा में 3.11.2023 को शुद्व किया जाकर 11.01.2023 किया जाता है । निर्णय की सही तिथि 11.01.2023 पढ़ा जावे । आदेश मूल निर्णय के साथ सलंग्न किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी,
झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़